**संख्या-34/2018/1799/46-1-2018-1512/2002**

**प्रेषक,**

**संजय आर. भूसरेड्डी,**
**प्रमुख सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**गन्ना एवं चीनी आयुक्त,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

**चीनी उद्योग अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2018**

**विषय:-पेराई सत्र 2018-19 के लिए खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

प्रदेश में गन्ने की बढ़ते उत्पादन, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खाण्डसारी उद्योग की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पेराई सत्र 2018-19 के लिए खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति निम्नवत जारी किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**1- पावर क्रेशरों एवं खाण्डसारी इकाईयों के नये लाइसेंस:-**

(क) संस्थापित चीनी मिल से 7.5 कि.मी. की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर खाण्डसारी इकाई को नया लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।

(ख) चीनी मिल के सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र से भिन्न फ्री जोन में नया खाण्डसारी लाइसेंस दिये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा, किन्तु सुरक्षित/अभ्यर्थित क्षेत्र में नया लाइसेंस प्रस्तर-1(क) के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

(ग) गुड़ बनाने वाली इकाईयां लाइसेंस से मुक्त होंगी। इन इकाईयों पर खाण्डसारी इकाईयों को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 प्रभावी नहीं होगा।

(घ) खाण्डसारी इकाईयों के लाइसेंस को सरलीकृत करते हुए आनलाइन आवेदन की नयी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। आनलाइन आवेदन हेतु आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों सहित विभाग की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड करेगा। आन लाइन प्रेषित आवेदन पत्रों पर 50 घण्टे में सहायक चीनी आयुक्त एवं इतनी ही अवधि में चीनी आयुक्त, उ.प्र. के स्तर पर निर्णय ले लिया जायेगा।

(ड़) गुड़ बनाने वाली इकाईयां यदि खाण्डसारी बनाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(च) नई संस्थापित की जा रही चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में नया लाइसेंस प्रस्तर-1(क) के अनुसार प्रदान किया जायेगा। अग्रेतर यदि आई.ई.एम. प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में यदि चीनी मिल संचालित नहीं होती है, तो नयी खाण्डसारी इकाई पर प्रस्तर-1(क) का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

**2- <u>सुप्त इकाईयों को लाइसेंस जारी किया जाना:-</u>**

(क) ऐसी बन्द हो चुकी खाण्डसारी इकाईयॉ, जिन्हें किसी भी सत्र में लाइसेंस प्राप्त रहा हो तथा इकाई ने पूर्व में कार्य किया हो एवं ऐसी इकाईयों द्वारा क्रयकर आदि का भुगतान किया जा चुका हो व वर्तमान में उस पर कोई बकाया न हो तो ऐसी इकाईयों की सुप्त अवधि को क्षम्य मानते हुऐ इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह पेराई सत्र 2018-19 में अपनी इकाई अवश्य चलायेंगे, उनका लाइसेंस नि:शुल्क सहायक चीनी आयुक्त द्वारा नवीनीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल उन्हीं इकाई स्वामियों को प्राप्त होगी जो 31 दिसम्बर, 2018 तक अपना आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर देगें।

(ख) ऐसी इकाईयां जिन पर गन्ना क्रयकर, ब्याज, शास्ति एवं गन्ना विकास कमीशन की धनराशि बकाया है और वह समस्त बकाया धनराशि जमा कर देती हैं तो उनको भी उक्तानुसार प्रस्तर-2(क) की प्रक्रिया के तहत नि:शुल्क लाइसेंस नवीनीकरण की सुविधा अनुमन्य होगी।

(ग) ऐसे इकाई स्वामियों जिन्होंने 2 (क) एवं 2 (ख) की व्यवस्था के अधीन लाइसेंस प्राप्त किया हो उन्हें प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिन पेराई कार्य करना अनिवार्य होगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग उनके द्वारा रू. 10.00 के नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**3- <u>लाइसेंस में परिवर्तन:-</u>**

(क) विवादास्पद मामलों को छोड़कर साझेदारी संविदा के आधार पर साझेदारों के घटने, बढ़ने अथवा उत्तराधिकार के मामलों में नाम परिवर्तन किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध न होगा, किन्तु फर्म के नाम परिवर्तन हेतु पार्टनरशिप शीड तथा मण्डी परिषद का नोड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

(ख) इकाई स्वामी द्वारा पुरानी इकाईयों के आकार एवं प्रकार में परिवर्तन पर कोई प्रतिबन्ध न होगा परन्तु ऐसी इकाईयों को उ.प्र. खाण्डसारी निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा 1967 (अद्यावधिक संशोधित) की अनुसूची 4 में उल्लेखित आकार एवं प्रकार की सीमा के अन्तर्गत ही परिवर्तन की अनुमति निर्धारित शुल्क की अन्तर धनराशि जमा करने पर अनुमन्य होगी। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(ग) इकाई स्वामी सहायक चीनी आयुक्त की पूर्व अनुमति लेकर सल्फर से नानसल्फर एवं नानसल्फर से सल्फर में परिवर्तन करने हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 3 कार्य दिवस में सहायक चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

(घ) इकाई स्वामी नानहाईड्रोलिक/स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया तथा हाईड्रोलिक/स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया से नानहाईड्रोलिक में सक्षम अधिकारी की अनुमति से परिवर्तन कर सकता है, किन्तु परिवर्तन के अनुरूप ही निर्धारित शुल्क के अन्तर की धनराशि देय होगी। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

**4- <u>स्थल परिवर्तन:-</u>**

(क) सहायक चीनी आयुक्त की पूर्वानुमति से संस्थापित इकाई को उसी ग्राम में किसी भी प्लाट पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 3 कार्य दिवस में सहायक चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

(ख) संस्थापित इकाई को वर्तमान स्थल से दूसरे राजस्व ग्राम में परिवर्तन की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तर-1 (क) का प्रतिबन्ध रखते हुए प्रदान की जायेगी। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**5- <u>परिवर्तन सम्बन्धी प्रार्थनापत्र की अन्तिम तिथि:-</u>**

इकाई में प्रस्तर 3 एवं 4 में वर्णित किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा। जो निस्तारण आदेश जारी होने की तिथि से लागू माना जायेगा।

**6- <u>इकाई के क्रय-विक्रय सम्बन्धी मामले:-</u>**

यदि कोई इकाई स्वामी अपनी इकाई का विक्रय करना चाहता है तो ऐसे प्रकरणों में निर्धारित एकमुश्त लाइसेंस शुल्क धनराशि जमाकर नामान्तरण किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में नवीन लाइसेंस प्रार्थना पत्रों पर अपनायी जाने वाली प्रस्तर 1(क) की प्रक्रिया नहीं अपनायी जायेगी। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

7(क) **<u>खाण्डसारी इकाइयों को स्टीम ब्वायलिंग प्रोसेस की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना-</u>** स्टीम ब्वायलिंग प्रोसेस की स्थापना हेतु इकाई स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करके 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ख) **<u>खाण्डसारी इकाइयों को ओपनपैन में रहते हुए कतिपय प्रक्रिया संशोधनों की अनुमति प्रदान करना-</u>** खाण्डसारी इकाइयों को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 के अन्तर्गत निर्गत लाइसेंस में इवोपोरेटर के स्तर पर वैक्यूम के अन्तर्गत सिरप ब्रिक्स को अधिकतम 65 डिग्री तक इवोपोरेट करने की अनुमति होगी। यह अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

8- खाण्डसारी बनाने वाली इकाई यदि गुड़ का उत्पादन करना चाहती है तो वह गुड़ का उत्पादन कर सकती हैं, इस पर कोई प्रतिबन्ध न होगा।

9-(क) लाइसेंसीकृत इकाईयां उसके चलने व बन्द होने की सूचना एक सप्ताह पूर्व गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को तथा गन्ना पेराई/चीनी उत्पादन की दैनिक सूचना ऑनलाईन www.upkhandsari.in पर अपलोड करेगीं साथ ही साथ निर्धारित दैनिक गन्ना खरीद (प्रपत्र-6) रजिस्टर, गन्ना पेराई एवं उत्पादन तथा स्टाक रजिस्टर भी अनुरक्षित करेंगी।

(ख) शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाहर खाण्डसारी शीरे का सम्भरण upexciseoline Portal पर अपलोड कराते हुये आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रामाण-पत्र के आधार पर ही कराया जाएगा।

(ग) प्रदेश स्थित बड़ी खाण्डसारी इकाईयों के जियों टैंगिंग की व्यवस्था की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(घ) प्रदेश स्थित बड़ी खाण्डसारी इकाईयों से उत्पादित होने वाले शीरे का रिकार्ड रखा जायेगा तथा इसका रिकार्ड उत्तर प्रदेश खाण्डसारी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

**10- <u>गुड का उत्पादन करने वाले क्रेशरों/मिनी क्रेशरों की स्थापना:-</u>**

(क) गुड़ उत्पादन करने के लिए पावर क्रेशर/मिनी क्रेशर की स्थापना प्रस्तर 1(क) से प्रतिबन्धित होगी, किन्तु इस हेतु उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी इकाईयां चलने व बन्दी की सूचना एक सप्ताह पूर्व प्रेषित करने के साथ निर्धारित दैनिक गन्ना खरीद (प्रस्तर-6) रजिस्टर, गन्ना पेराई एवं उत्पादन तथा स्टाक रजिस्टर को अनुरक्षित करेंगी।

(ख) क्षेत्र में स्थापित खड़े कोल्हुओं की गणना की जायेगी तथा उनका पूर्ण विवरण रखा जायेगा जिससे यह ज्ञात हो सके कि क्षेत्र में कितने कोल्हू संचालित हैं तथा उनके द्वारा अनुमानत: कितने गन्ने की खपत/पेराई की जा रही है।

(11) यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी।

2- अत: उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(संजय आर. भूसरेड्डी)**
प्रमुख सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
2-समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3-समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4-निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
5-निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ।
6-समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी।
7-नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9-आदेश-पुस्तिका।

आज्ञा से,

**(नरेश बहादुर)**
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।